

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

पत्राक:- एफ 23(5)1/टी.एफ.सी/डी.ई.एस/बी.आर/2012/188

दिनांक: 04-10-2018


जिला कलेक्टर
एवं पदेन जिला बिजनेस रजिस्ट्रार
जिला -----

विषय :- गैर सरकारी संगठन (NGO)/ स्वैच्छिक संगठन (VO) द्वारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको विदित है कि राजस्थान सरकार, आयोजना विभाग द्वारा 21 सितम्बर 2016 को राज्य में एक अधिसूचना संख्या एफ.23(5)1/टीएफसी/डी.ई.एस/बी.आर/2012/57207 में दिनांक 20.09.2016 जारी कर ऐसे प्रतिष्ठान/व्यवसाय जो पहले से स्थापित हैं या जो उद्यमी प्रतिष्ठान/व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, को **br.raj.nic.in** पोर्टल पर जाकर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर हेतु ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से 16 अंको का बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करना आवश्यक किया गया है। बिजनेस रजिस्टर पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य केन्द्र/राज्य सरकार को योजना निर्माण एवं नीति निर्धारण हेतु क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित वास्तविक अवधि के आवश्यक समंक व महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराना है।

वर्तमान समय में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विविध योजनाओं व कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में NGO/VO के माध्यम से करवाया जा रहा है, अतः इनकी नीति निर्धारण एवं अन्य कार्यों से संबंधित आवश्यक संसूचनाएँ एक ही स्थान पर राज्य सरकार को ऑनलाईन उपलब्ध हो सके इस हेतु बिजनेस रजिस्टर के पोर्टल **br.raj.nic.in** पर NGO/VO के लिए भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।


अतः आपसे अनुरोध है कि आप आपके जिले में कार्यशील या भविष्य में कार्य प्रारंभ करने वाले सभी NGO/VO को BR पोर्टल के माध्यम से 16 अंको का बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर (BRN) प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करवाने की व्यवस्था करावें।


प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

पत्राक:- एफ 23(5)1/टी.एफ.सी/डी.ई.एस/बी.आर/2012/189

दिनांक: 04-10-2018

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।


निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
एवं पदेन राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार